POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 30.08.2025

थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-404/2025 धारा-140(1) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-61(2)/103(1)/238(क) भा0न्या0सं0 से सम्बंधित 01 अभियुक्त विजय पासी पुत्र सुखलाल पासी निवासी ग्राम मोहल्ला नींवा थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-30.08.2025 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत लालगोपालगंज स्थित निन्दूरा मोड के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.08.2025 को आवेदिका/वादिनी मुकदमा श्रीमती बबली यादव पत्नी रणधीर यादव निवासी हथिगंहा मोहम्मदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज के द्वारा एक किता तहरीर बावत अपने पति रणधीर यादव पुत्र राम अभिलाख यादव उम्र करीब 40 वर्ष के दिनांक 22/8/2025 की शाम समय लगभग 5 बजे शाम को अपनी स्कारपीयो न0 UP70 FF7564 से अकेले कही चले जाने तथा वापस लौट कर न आने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज करवायी गयी

जिसकी जांच उ0नि0 श्री भगवान बक्श द्वारा की जा रही थी। उक्त गुमशुदगी के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण द्वारा सर्विलांस सेल / SOG व थाना नवाबगंज की संयुक्त रूप से चार टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी व सी0डी0आर0 के अवलोकन कर साक्ष्य एकत्रित किये गये। इसी के मध्य सूचना मिली की गुमशुदा रणधीर यादव की चार पहिया वाहन स्कार्पियों UP70 FF7564 जनपद चित्रकूट में मिली है। इस सूचना पर थाना हाजा से उ0नि0 संजीव कुमार मय हमराही कर्मचारीगण जनपद चित्रकूट जाकर उक्त स्कार्पियो वाहन को बरामद किया गया। इसी के मध्य आवेदिका/वादिनी मुकदमा श्रीमती बबली यादव पत्नी रणधीर यादव निवासी हथिगंहा मोहम्मदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज द्वारा दिनांक 25/08/2025 को एक किता तहरीर बावत बाइस्तवाह आरोपीगण उदय व राम सिंह के द्वारा अपने पति रणधीर यादव पुत्र राम अभिलाख यादव उम्र करीब 40 वर्ष के अपहरण कर हत्या किये जाने का मु0अ0सं0 404/2025 धारा 140(1) बीएनएस बनाम बाइस्तवाह आरोपी 1.रामसिंह यादव पुत्र हरिशचन्द्र यादव 2.उदय सिंह पुत्र भोलानाथ यादव नि0गण तुलसीराम का पूरा मजरे इब्राहिमपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रयागराज पंजीकृत करवाया गया जिसकी विवेचना प्र0नि0 नवाबगंज द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना व साक्ष्य संकलित करते हुए अभियोग उपरोक्त में प्रकाश में आए अभियुक्त विजय पासी पुत्र सुखलाल पासी निवासी ग्राम मोहल्ला नीवा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत निन्दूरा मोड लालगोपालगंज से गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त विजय पासी पुत्र सुखलाल पासी निवासी मोहल्ला नीवा थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी दोस्ती जय सिंह यादव पुत्र कन्हई यादव तथा रवी पासी से है हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते है एक दिन उदय ने रवि पासी के माध्यम से संपर्क किया एवं रवि पासी, विजय पासी तथा जय सिंह यादव को ₹50000 पर तय किया तथा उनको बताया कि रणधीर के शव को ले जाकर ऐसे डिस्पोज करना है कि उसकी पहचान ना हो पाए, तो जय सिंह यादव, विजय पासी, रवि पासी ने उदय, उदय का भाई विजय यादव, रामसिंह के कहने पर गाड़ी से शव को ले जाकर बमरौली में रेल पटरी पर रखा।

पहले पत्थर से उसका चेहरा कूच दिया ताकि चेहरे से पहचान न हो सके और उसके बाद शव पटरी पर रख दिया जिससे ट्रेन से उसके टुकड़े हो गए। ताकि शव पहचान ना पाए और दुर्घटना लगे। इसलिए जब पुरामुफ्ती में पुलिस द्वारा अज्ञात शव को बरामद किया गया तो उसकी पहचान नहीं हो पाई। बाद अभियुक्त रामसिंह की निशानदेही पर उक्त शव रणधीर का होना ज्ञात हुआ उसके परिजनों द्वारा कपड़ों से उसकी पहचान की गई दिनांक 22.08.2025 को रात्रि में योजनाबद्ध तरीके से रणधीर यादव को उनकी स्कार्पियो गाडी के साथ रामसिंह ने बुलाकर शराब पीते रहे बाद में होटल से खाना और शराब होटल वाले से मंगाये थे उसके बाद उसे लेकर वे लोग फाफामऊ की तरफ चले आगे एकांत में गाडी रोककर रामसिंह व रणधीर यादव ने शराब पिया रणधीर को ज्यादा पीलाये जब उसको नशा हो गया तो ड्राइविंग सीट पर रामसिंह बैठ गया और स्कार्पियो चलाने लगा उसी दौरान रास्ते में आगे बढने पर उदय यादव और विजय यादव उनका नौकर सुजीत श्रीवास्तव व जय यादव व रवि पासी मिले जिन्हे गाड़ी रोककर योजना एवं षणयन्त्र के मुताबिक सभी को गाडी में बैठा लिया और उन सभी लोगो ने गाडी में ही एक साथ मिलकर रणधीर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दिये। हत्या करने के बाद योजना के मुताबिक रणधीर के शव की पहचान छिपाने के लिए शव को उसी स्कार्पियो गाडी से बमरौली रेलवे स्टेशन के पास ले गये जहां पर मै व रवि पासी मिले हम सभी लोग उनको साथ लेकर हम लोगो ने बमरौली रेलवे स्टेशन आउटर सिग्नल के आगे सुबेदारगंज के तरफ जाने वाले रेल लाइन के करीब स्कार्पियो रोककर रणधीर यादव के शव को हम सभी लोग कंधा लगाकर कि किसी को शक न हो, शव को रेलवे ट्रैक पर रख कर हम लोगो ने रणधीर यादव के चहरे को पत्थर से कूच दिया था जिससे कोई उसकी पहचान न कर सके और आस पास छिपकर आने वाली ट्रेनो का इंतेजार करने लगे जब एक ट्रेन उस ट्रैक से निकल गयी तो इत्मीनान करके कि रणधीर का शरीर ट्रेन से कटकर क्षति विक्षप्त होकर पडा है तब राम सिंह व उदय यादव, रणधीर की गाडी स्कार्पियो से तथा विजय यादव व सुजीत श्रीवास्तव मोटर साइकिल से जनपद चित्रकूट की तरफ स्कार्पियो को ठिकाने लगाने के लिये ले गये थे। मै और रवि पासी व जय सिंह यादव अपने अपने घर आ गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विजय पासी पुत्र सुखलाल पासी निवासी ग्राम मोहल्ला नींवा थाना धूमनगंज कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 24 वर्ष ।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-404/2025 धारा-140(1) भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-61(2)/103(1)/238(क) भा0न्या0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 राघवेन्द्र सिंह, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 सुखचैन तिवारी, प्रभारी सर्विलांस सेल/एस0ओ0जी0 गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. उ0नि0 भगवान बक्श सिंह, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. उ0नि0 सुन्दर श्याम दुबे, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
5. का0 रवि चौधरी, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
6. का0 लोकन्द्र चौधरी, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना फाफामऊ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-136/2025 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त अरूण जायसवाल उर्फ अर्जुन जायसवाल पुत्र सालिक राम जायसवाल निवासी हंसराजपुर थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज

को थाना फाफामऊ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-30.08.2025 को थाना फाफामऊ क्षेत्रान्तर्गत बेला कछार के पास से गिरफ्तार किया गया। पीड़िता के बयान एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा-65(1) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अरूण जायसवाल उर्फ अर्जुन जायसवाल पुत्र सालिक राम जायसवाल निवासी हंसराजपुर थाना होलागढ़ कमिश्नरेट प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

सम्बंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-136/2025 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 व बढ़ोत्तरी धारा-65(1) भा0न्या0सं0 व 5/6 पॉक्सो एक्ट थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 इम्तियाज अहमद, थाना फाफामऊ कमिश्नरेट प्रयागराज।